यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त राज्य कर खण्ड-**IV** काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त राज्य कर खण्ड-**IV** काशीपुर के माह 24.09.2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मश्रा एवं श्री नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री र व भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 19.01.2018 से 29.01.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 29.09.2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः काशीपुर क्षेत्र

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	नव सृजित कार्यालय
2015-16	5514.75
2016-17	6614.96

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त राज्य कर खण्ड-**IV** काशीपुर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त राज्य कर खण्ड-**IV** काशीपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:**

राजस्वाः माह 10/2015, 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.01:– अर्थदंण्ड का अनारोपण `1.21 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2010 की धारी 58 की उपधारा –(Vii) **(ख)**के अनुसार देय कर बिना किसी कारण के बिलम्ब से जमा करने पर देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हों और देय कर का 50 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो, का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–चतुर्थ, वाण्ज्यि कर, काशीपुर के गठन तिथि से माह मार्च 2017 तक के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि ं निम्नलिखित व्यौहारियों द्वारा अपने देय कर बिलम्ब से जमा किया गया :–

क्र सं0	व्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर अवधि	कर की देय तिथि	जमा की दिनॉक	बिलम्ब माह/दिन	धनराशि रुपये में	अर्थदण्ड रुपये में
1.	सर्वश्री जय लक्ष्मी राइस मिल बाजपुर काशीपुर 05002531046	2014–15	03/2015	25.04.15	09.07.15	लगभग दो माह	71720.00	7172.00
2.	सर्वश्री पारस फूडस बाजपुर काशीपुर	2014–15	09/2014	25.10.14	10.12.14	लगभग दो माह	243624.00	24362.00
3.	सर्वश्री उत्तरांचल फूडस बाजपुर काशीपरु	2014–15	01/2015	25.02.15	03.03.15	लगभग एक माह	891167.00	89116.00
							योग	**120650.00**

`120650.00 अनारोपित अर्थदंण्ड के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा "जॉचोपरान्त एवं नियमानुसार /आवश्यक कार्यवाही करते हुये तत्काल अवगत कराने की टिप्पणी की गयी।" अतएवं प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.02:– प्रपत्र सी पर अनियमित छूट दिये जाने के कारण कम कर का न्यूनारोपण **`**3.39 लाख।

केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली, 1957के नियम 12 के अनुसार एकल घोषणापत्र में बिक्री सम्बन्धी उन सभी लेनदेनों को सम्मिलित किया जायेगा जो किसी वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास में उन्ही दो व्यक्तियों के बीच होते है। प्रत्येक त्रैमास में इस प्रकार परिदत्त किये गये माल के लिये पृथक घोषणापत्र देना आवश्यक होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–चतुर्थ वाणिज्य कर काशीपुर के गठन **ति थ** से माह मार्च 2017 तक के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि सर्वश्री एक्शन कंस्ट्रशन इक्यूपमेंन्ट प्रा0लि0 बाजपुर कर निर्धारण वर्ष 2012–13 रिमाण्ड वाद के0बि0की अधिनियम की धारा 9(2) सपठित नियम 12(7) के अन्तर्गत आदेश सं0823 दिनॉक 29.12.2016 को निस्तारित किया गया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में स्वनिर्मित क्रेन्स एवं उसके पार्टस की बिक्री प्रपत्र सी के माध्यम से `169570699(150122079+19448620) की गयी, जिस पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था। प्रपत्र सी से अनाच्छादित स्वनिर्मित क्रेन्स एवं उसके पार्टस की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। पत्रावली की जॉच में पाया गया कि प्रपत्र

सी **सं**/PB/AA/C-7026501 पर इनवाइस/बिल सं0 600408 दिनॉक 30.09.12 धनराशि `2242000 तथा इनवाइस/बिल सं0 600418 दिनॉक 12.10.12 धनराशि `2156366.00 कुल `4398366.00 के संव्यवहार अंकित थे, जो दो तिमाहियों से संम्बन्धित है, जिस पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया ,जो अनियमित था। प्रत्येक त्रैमास में इस प्रकार परिदत्त किये गये माल के लिये पृथक घोषणापत्र देना आवश्यक था। अतः जुलाई,अगस्त,सितम्बर तिमाही के संव्यवहार को नियमित किन्तु अक्टूबर,नवम्बर,दिसम्बर तिमाही के संव्यहार को अनियमित मानते हुये इस पर अन्तरीय दर 12.5(13.5–1) से `269546 (2156366×12.5) कर अनारोपित रह गया।

इसी प्रकार सर्वश्री विल्सन इण्डस्ट्रीज नादेह जसपुर कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के0बि0क0 अधिनियम की धारा 9(2)/31 के अन्तर्गत आदेश सं0100 दिनॉक 23.04. 2016 को निस्तारित किया गया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में स्वनिर्मित पेंटिग ब्रुस की बिक्री प्रपत्र सी के माध्यम से `11891102.00 की गयी, जिस पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था। व्यौहारी की संगत वर्ष की पत्रावली की जॉच में पाया गया कि प्रपत्र सी0 संख्या TN-2011-CTC-OH 0616185 में एक

त्रैमाह से अधिक अवधि (प्रथम व द्वितीय तिमाही)के संव्यवहार अंकित किये गये थे,द्वितीय त्रैमाह के संव्यहार अधिक होने के कारण व्यौहारी को इसका लाभ देते हुये प्रथम त्रैमाह के संव्यवहारों को अनियमित माना गया जो निम्नवत हैः–

बिल सं0	दिनॉक	धनराशि
7	06.06.11	95008.68
8	09.06.11	115697.52
9	11.06.11	70247.52
10	20.06.11	81858.48
11	25.06.11	97650.84
12	28.06.11	100111.20
	योग	**560,571.00**

चूंक अनिय मत संव्यवहार 13.5 प्रतिशत के दर के अन्तर्गत आती है अत: इस प्रकार अनियमित संव्यवहार `560571.00 पर अन्तरीय दर 12.5(13.5–1) से

`70,071.4(560571×12.5)

उपरोक्त अनियमित छूट `339617.4(269546+70071.4) के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा "जॉचोपरान्त एवं नियमानुसार /आवश्यक कार्यवाही करते हुये तत्काल अवगत कराने की टिप्पणी की गयी।" अतएवं प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.03:– अर्थदंण्ड का अनारोपण `0.48 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10 ए के अनुसार धारा –6 की उपधारा (2) या धारा 6 क की उपधारा(1)या धारा 8 की उपधारा (4)या उपधारा (8) के अधीन घोषणा यह जानते हुये मिथ्या देगा तो शास्ति के रुप में उतनी धनराशि अधिरोपित हो सकेगी जितनी उस कर के डेढ गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किये गये विक्रय की बाबत धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उदगृहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अन्तर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–चतुर्थ वाण्ज्य कर काशीपुर के गठन तिथि से माह मार्च 2017 तक के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि सर्वश्री कास्मास लाइफकेयर जसपुर टिन 05010664011काशीपुर के कर निर्धारण वर्ष 2012–13 उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश सं0371 दिनॉक 28.12.2015 को निस्तारित किया गया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यौहारी द्वारा `240453.00 के इलैक्ट्रिक पैनल व कूलिंग टावर के लिये प्रपत्र सी जारी कर खरीद की गयी थी, जबकि व्यौहारी उक्त वस्तुओ के लिये प्रपत्र सी जारी करने के अधिकृत नही था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत अलग से अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने को कहा था, किन्तु पत्रावली पर उपरोक्त पर अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने का कोई प्रमाण संलग्न नही पाया गया। अतएव उक्त पर 13.5 प्रतिशत कर एवं कर का डेढ गुना अर्थदण्ड `48692(240453×13.5 प्रतिशत का डेढ गुना) व्यौहारी पर आरोपणीय होगा।

`48692.00 अनारोपित अर्थदंण्ड के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा "जॉचोपरान्तं कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी।" अतएवं प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उपायुक्त राज्य कर खण्ड-**IV** काशीपुर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव ध
(i)	श्री योगोश कुमार मत्तल	डी0सी0	16.08.16 से वर्तमान तक
(ii)	श्री नीरज गुप्ता	डी0सी0	01.04.16 से 15.08.16 तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय उपायुक्त राज्य कर खण्ड-**IV** काशीपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र